फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थी
मोतीराम पुत्र श्री चेलाजी
जाति रेबारी नि. मांकरोडा
तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
1.स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा,
राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 49/2024

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
24–12–24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री मनोज रावल व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित । अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2024/1369 दिनांक 24–12–2024 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार मौजा मांकरोडा के खाता सं. 167, 270 व 385 में मोतीया पुत्र चेला दर्ज है जो असंगत व गलत है। प्रार्थी का सही व सम्मानजनक नाम मोतीराम पुत्र चेलाराम है । अतः मांकरोडा के खाता सं. 167, 270 व 385 में मोतीया पुत्र चेला दर्ज है जो असंगत व गलत है। प्रार्थी का सही व सम्मानजनक नाम मोतीराम पुत्र चेलाराम किया जाना उचित होना बताया है। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि मांकरोडा के खाता सं. 167, 270 व 385 में गलत नाम मोतीया पुत्र चेला के स्थान पर सही व सम्मानजनक नाम मोतीराम पुत्र चेलाराम संशोधन कर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही (राज०)	